फा.सं. Z-11017/58/2020-डीडी-I (36019)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वां तल, पं. दीन दयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

दिनांक - 22.03.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- एडिप योजना के तहत श्रवण और वाक् दिव्यांगता ग्रस्त में व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की सूची में स्मार्टफोन/टैबलेट को शामिल करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभाग में सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो एडिप योजना के तहत वितरण हेतु दिव्यांगजनों के सभी श्रेणी के लिए आधुनिक सहायक उपकरणों पर निर्णय लेती है और उनकी सूची तैयार करती है । विशेषज्ञ समिति की पिछली बैठक में 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हुए 100% श्रवण बाधिता वाले छात्रों के लिए 35 वर्ष की आयु सीमा तक निम्नलिखित किट अनुमोदित की गई है: –

क्र.सं.	मद का नाम	(रूपये) तक की लागत
1.	स्मार्टफोन/टैबलेट (सांकेतिक भाषा सहित भाषा सीखने के लिए सॉफ्टवेयर शामिल है)	14,000/-
2.	शैक्षिक किट	1,000/-
	कुल	15,000/-

2. स्मार्ट फोन/टैबलेट कम से कम निम्नलिखित विनिर्देशों को पूरा करेंगे:-

(i) ऑक्टाकोर प्रोसेसर; (ii) 4 जीबी/6 जीबी रैम; (iii) विस्तारणीय मेमोरी कार्ड स्लॉट सहित 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज; (iv) रियर और फ्रंट दोनों कैमरा; (v) पर्याप्त स्क्रीन आकार के साथ 4000 एमएएच की बैटरी।

शैक्षिक किट की सामग्री छात्रों की आवश्यकताओं/कक्षा/पाठ्यक्रम के आधार पर भिन्न होगी।

3. सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रासंगिक प्रौद्योगिकी के साथ मानक और गुणवत्ता किट खरीदें।

(संदीप कुमार)

SANDEEP KUMAR
Digitally signed by SANDEEP KUMAR
Date: 2024.03.22 16:16:29 +05'30'

अवर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल आईडी :- adipsection-depwd@gov.in

दूरभाष सं. :- 011 2436 9027

सेवा में,

1. सभी कार्यान्वयन एजेंसियां।

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव (आरवाई) के प्रधान निजी सचिव।